मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) भादरा

(पीठसीन अधिकारी प्रशासन गांव के संग/कैम्प कोर्ट 2021)

पीठसीन अधिकारी :– श्रीमती शकुन्तला चौधरी आर0ए0एस0

उनवान

दयाराम बनाम हेसराम आदि

दावा बाबत :– 88 RTA-1

मुकदमा नम्बर :– 299/2021

निर्णय दिनांक :– 2-12-2021

वादी की ओर से वकील विनोद पूनिया की व प्रतिवादी सं0 1 की ओर से वकील उमेद मोदसरा की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 2-12-2021 को मुझ शकुन्तला चौधरी सहायक कलक्टर फास्ट ट्रैक भादरा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि राधि मौजा किकराली के खाता सं० 145/148 के खसरा सं० 118 की 4.450 है०, खसरा सं० 119 की 4.542 है०, कुल 8.992 है० बारानी कृषि भूमि में प्रतिवादी सं० 1 के नाम 1/3 हिस्सा व राही घोटड़ा खालसा के खाता सं० 64/9 के खसरा सं० 35 पा, 74, 86, 93, 125, 172 कुल 22.458 है० बारानी खातेदारी में प्रतिवादी सं० 1 हेसराम के नाम 1/3 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है में से अकेले प्रतिवादी सं० 1 हेसराम के बजाए वादी दयाराम, प्रतिवादी सं० 1 हेसराम, प्रतिवादी सं० 2 शंकरलाल व प्रतिवादी सं० 3 भगवानाराम को बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है चूंकि प्रतिवादी सं० 4 व 5 ने अपना सम्पूर्ण हक व हिस्सा वादी व प्रतिवादी सं० 1 ता 3 के पक्ष में त्याग कर मुन्तकल कर लिया है उसलिए त्याग किये गये हिस्से पर पंचायत विभाग को वन पंचायत शुल्क अदा करने व यदि कृषि भूमि बंधक के रहन हो तो रहनमुक्त होने के उपरान्त व राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। राजीनामा की डिक्री का मांग पत्र जावे।

खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 2-12-2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(शकुन्तला चौधरी)
R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner